(81)

समक्ष – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3657

जगदीश प्रसाद गुप्ता तनय श्री रामसेवक गुप्ता, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम पड़रिया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, म0प्र0

................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. शम्भू प्रसाद मिश्रा तनय श्री गयादीन मिश्रा, निवासी ग्राम पड़रिया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, म0प्र0

2. शासन मध्यप्रदेश।

.... गैर पुनरीक्षणकर्ता

श्री अरुण कुमार साहू द्वारा आज दि. 6.10.17 को प्रस्तुत
6.10.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

12-10-17

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक, वृत्त रायपुर कर्चुलियान, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, म0प्र0 बावत् राजस्व प्रकरण क्र. 79/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वी।

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न हैं :–

गैर पुनरीक्षणकर्ता क्र. 1 राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्चु0, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा स्थित भूमि खसरा नं. 1380 रकबा 0.186 हेक्टे0 का भूमि स्वामी दर्ज शासकीय राजस्व अभिलेख है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 3657

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11-10-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू उपस्थित होकर उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 79 / अ-12 / 2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 01.9.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2-प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक शंभू प्रसाद मिश्रा पिता ग्यादीन मिश्रा निवासी ग्राम पड़रिया की आराजी नम्बर 1380 का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी पडरिया से सीमांकन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया, पटवारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन, नजरी नक्शा, फील्ड बुक, सूचना पत्र एवं पंचनामा प्रस्तुत किया जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा आपत्ति दिनांक 1.9.17 को निरस्त की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि हल्का पटवारी पड़रिया द्वारा बिना सूचना दिये एवं सरहदी काश्तकार को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में दिनांक 6.6.17 को सीमांकन कार्यवाही	

की गई जिसमें आवेदक के भूमि स्वामी हक की आराजी न0 1382 / 1 व 1382 / 11 की सीमा प्रभावित करते हुये अनियमित तथा नियमों के विपरीत सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन तथा पंचनामा राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की लेकिन उनके द्वारा आपत्ति का निराकरण किये बगैर निरस्त की गई है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अनावेदक की भूमि ख0 न0 1380 से लगी हुई है तथा आवेदक प्रश्नाधीन सीमांकन में सरहदी काश्तकार था, ऐसी स्थिति में संहिता में सीमांकन बावत बने प्रावधानों के तहत उसको सूचना दिया जाना आवश्यक है। आवेदक का नाम हल्का पटवारी के सूचना पत्र में डाला था, किन्तु आवेदक को कोई सूचना दिये बिना की गई सीमांकन कार्यवाही पूर्णत नियमों के विपरीत हो जाती है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर दिनांक 1.9.17 का आदेश निरस्त कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

4—आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 6.6.17 के सूचना पत्र में जगदीश प्रसाद गुप्ता के हस्ताक्षर नहीं है एवं इसी प्रकार सीमांकन सूचना दिनांक 30.5.17 में जगदीश पुत्र रामसेवक गुप्ता नाम अंकित है लेकिन उनके हस्ताक्षर नहीं है इससे से स्पष्ट है कि आवेदक को बिना सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 3657

राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 79 / अ—12 / 2016—2017 में पारित आदेश दिनांक 01.9.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि सीमांकन करने हेतु एक दल गठित कर पुनः सरहदी काश्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उनके समक्ष सीमांकन की कार्यवाही की जावे। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय किया जावे।

सदस्य